

संख्या
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कार्रवाई के
बारे में टिप्पणी
तारीख सहित

न्यायालय, भूमि सुधार उप-समाहर्ता, पाकुड़ ।
दाखिल खारिज अपील वाद सं०-12/2018-19
अशोक कु० दास एवं अन्य-बनाम-अंचल अधिकारी, पाकुड़ एवं अन्य
-: आदेश :-

अभिलेख का अवलोकन किया। वाद में एक लम्बे अवधि से किसी प्रकार की पैरवी नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि वाद में वादी/प्रतिवादी की कोई अभिरुचि नहीं है।

अभिरुचि के अभाव में अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशाधित,

भूमि सुधार उप-समाहर्ता,
पाकुड़।

भूमि सुधार उप-समाहर्ता,
पाकुड़।